न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/29 दायरा दिनांक : 31.01.2023

उनवान

1– ईश्वर आत्मज मांगीलाल जाति कुल्मी
2– जगदीश आत्मज बापू, जाति धाकड,
3– रमेश चन्द आत्मज बापू, जाति धाकड
अकवाम निवासी ग्राम मिसरोली, तहसील पचपहाड जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– मथुरालाल आत्मज रामनारायण, जाति कुल्मी
2– मोहनलाल आत्मज रामनारायण, जाति कुल्मी
3– रामगोपाल आत्मज रामनारायण, जाति कुल्मी
4– उदयराम आत्मज रामनारायण, जाति कुल्मी
5– नानूराम आत्मज रामनारायण, जाति कुल्मी
6– घनश्याम आत्मज रामनारायण, जाति कुल्मी
अकवाम निवासीगण ग्राम मिसरोली, तहसील पचपहाड जिला झालावाड
7– औंकार लाल आत्मज बापू, जाति धाकड,
8– राधेश्याम आत्मज बापू, जाति धाकड,
अकवाम निवासीगण ग्राम मिसरोली, तहसील पचपहाड जिला झालावाड
9– धापू बाई पुत्री बापू, पत्नी बालाराम निवासी सुनेल जिला झालावाड
10– गुलाब बाई पुत्री बापू, पत्नी भगवानलाल, जाति धाकड निवासी चछलाव, तहसील पिडावा जिला झालावाड
11– पारी बाई पुत्री बापू, पत्नी आनन्दी लाल जाति धाकड, निवासी दुंआखेडी तहसील भानपुरा जिला मंदसोर (म.प्र.)
12– लक्ष्मीनारायण आत्मज उदा, जाति धाकड निवासी मिश्रोली, तहसील पचपहाड जिला झालावाड
13– नन्दू बाई पुत्री लक्ष्मीनारायण, जाति कुल्मी, निवासी मिश्रोली, तहसील पचपहाड जिला झालावाड
14– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री सी.पी.खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री दयाराम सेन अभिभाषक रेस्पोडेंट क. 1 व 3 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 05.08.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 50/दावा/2017 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 209 आरटीए व इस्तगासा दुरूस्ती पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम मिश्रोली तहसील पचपहाड में वादीगण की पुश्तैनी आराजी संवत 2071—2074 में खाता संख्या 44 में खसरा नम्बर 2486 रकबा 02 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय भवानीमण्डी के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2016 द्वारा वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण (अपीलांट) के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के निर्णय से अप्रसन्न होने के कारण अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 6/वादीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी वाके ग्राम मिश्रोली तहसील पचपहाड के खसरा नं. 2486 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा आराजी के मामले में एक वाद बाबत् घोषणा पेश किया। प्रकरण में तलबी प्रतिवादीगण में कार्यवाही चल रही थी। इसी दौरान प्रकरण को दिनांक 12.06.2018 को केम्प मिश्रोली में रख दिया गया। पक्षकारान के मध्य कोई सुलह नहीं होने के कारण पत्रावली में नियमित सुनवायी की जगह, पत्रावली को दिनांक 30.06.2018 को पुनः केम्प भवानीमण्डी में रख दिया और अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.06.2018 को वादी क्रम 1,5 व 6 एवं प्रतिवादी क्रम 1 की उपस्थिति अंकित करते हुए प्रकरण का मेरिट पर निस्तारण कर दिया एवं कानूनी प्रावधानों एवं सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत अवैधानिक रूप से वादीगण का वाद डिक्री कर वादीगण को खसरा नं. 2486 की 2 बीघा 8 बिस्वा आराजी का खातेदार घोषित कर दिया। इसलिए अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनाकं 30.06.2018 के विरूद्ध यह अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का तलबी प्रतिवादीगण की स्टेज पर बिना सहमती पक्षकारान राजस्व लोक अदालत केम्प मिश्रोली पर लोक अदालत के नियमों के विपरीत प्रकरण का मेरिट पर निस्तारण करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12.06.2018 से स्पष्ट है कि दिनांक 12.06.2018 को केम्प पर कुल 17 पक्षकारों में से केवल मात्र 7 पक्षकार उपस्थित हुए थे एवं पक्षकारों में कोई सुलह नहीं होने से पत्रावली को बिना सहमति पक्षकारान राजस्व लोक अदालत केम्प भवानीमण्डी पर दिनांक 30.06.2018 को पेश करने का आदेश पारित कर प्रकरण का मेरिट पर अधीनस्थ न्यायालय ने निस्तारण करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 30.06.2018 से स्पष्ट है कि उक्त दिनांक को लोक अदालत मे केवल वादी नं. 1, 5 व 6 व प्रतिवादी नं. 1 की ही उपस्थिति अंकित है, ऐसा कही अंकित नहीं कि दिनांक 30.06.2018 को समस्त पक्षकारान ने राजीनामा पेश किया हुआ हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2018 को प्रकरण को निर्णित करने में त्रुटि की है। कानूनी स्थिति यह स्पष्ट है

(निर्मला कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कि लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों को परखा जाना चाहिए जिनमें पक्षकारान स्वयं लिखित में राजीनाम पेश करे एवं अधीनस्थ न्यायालय उस राजीनामे को विधि अनुसार तस्दीक कर कानूनी प्रावधानों को नजर में रख कर न्यायोचित आदेश पारित करे। विवादित मामले में अधीनस्थ न्यायालय में समस्त पक्षकारान ने उपस्थित होकर राजस्व लोक अदालत, कैम्प भवानीमण्डी में दिनांक 30.06.2018 को कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया। इससे पूर्व की आदेशिका से स्पष्ट है कि पक्षकारान में कोई सुलह नहीं हो सकी तो ऐसी स्थिति में प्रकरण को नियमित अदालत में मुकाम भवानीमण्डी में रखकर समस्त पक्षकारान की विधि सम्मत् तरीके से तामील कराते हुए पक्षकारान से जवाब दावा लेकर तनकीयात कायम कर दोनों पक्षों को साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का निस्तारण करना चाहिए था। ऐसा नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2016 अपास्त किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 14.11.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी एकतरफा बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तलबी में नियत थी। पक्षकारों को तामील किये बिना ही निर्णय कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में मात्र 4 पक्षकारों के उपस्थित होना वर्णित है जबकि लोक अदालत में सभी पक्षों के राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित किये जाने चाहिए। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय रिमाण्ड की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं विधिसम्मत होने के कारण अपील खारिज फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं अपीलांट के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलम्ब का शमन किया जाता है।

5/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने अभिभाषकगण की उभयपक्षीय बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 12.06.2018 में सभी पक्षकारों के मध्य सुलह नहीं होना अंकित कर पत्रावली सीधे ही लोक अदालत में रखी जाकर दिनांक 30.06.2018 नियत कर दी गयी तथा दिनांक 30.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों को तलबी कराये बिना तथा बिना विधिक राजीनामे के लोक अदालत में निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण एवं कानून के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारान को समुचित तामील करवायी जाकर, जवाबदावा पेश करने का अवसर प्रदान कर, तनकीयात कायम कर, तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.10.2024 को उपस्थित होवे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा